# उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2014

(Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy -2014)

# अनुकमणिका


अध्याय 1 : परिचय

1.1 आमुख (Preamble)

अध्याय 2 : परिकल्पना, लक्ष्य, उद्देश्य

2.1 परिकल्पना (Vision)

2.2 लक्ष्य (Mission)

2.3 उद्देश्य (Objectives)

अध्याय 3 : नीति लक्ष्य तथा कार्यान्वयन रणनीति

3.1 नीति लक्ष्य (Policy Target)

3.2 आर्थिक परिवर्तन (Economic Transformation)

3.3 अवस्थापना विकास (Infrastructure Development)

3.4 मानव पूँजी विकास (Human Capital Development)

3.5 ई–अपशिष्ट प्रबन्धन (Handling e-Waste)

3.6 इलेक्ट्रानिक मिशन दल

3.7 एकल खिड़की निस्तारण (Single Window Clearance)

3.8 अनुश्रवण तथा निर्णयों हेतु समितियाँ

3.8.1 एपेक्स समिति

3.8.2 सशक्त समिति

अध्याय 4 : प्रोत्साहन

4.1 पूँजी उपादान

4.2 ब्याज उपादान

4.3 स्टाम्प ड्यूटी

4.4 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन

4.5 वैट/केन्द्रीय बिक्रीकर की प्रतिपूर्ति

4.6 भूमि हेतु प्राविधान

4.7 ईएमसी अवस्थापना सुविधायें

4.8 औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान

4.9 प्रकरण (केस–टू–केस) आधारित प्रोत्साहन

4.10 अन्य हितलाभ

4.11 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2014 की यू.एस.पी.

अध्याय 5 : विपणन एवं ब्रॉण्डिंग रणनीति

अध्याय 6 : शब्दावली

# अध्याय 1 : परिचय

## आमुख (Preamble)

हमारे जीवन में दिन–प्रतिदिन सेमीकन्डक्टर कम्पोनेन्ट्स का उपयोग बढ़ रहा है। मोबाइल और दूरसंचार उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर उद्योग, स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र, वाहन उद्योग एवं अनेक अन्य उद्योगों में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों की मॉग में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।

मध्यवर्गीय जनसंख्या में वृद्धि, बढ़ती प्रयोज्य आय (rising disposable incomes), उच्च तकनीकी के उपयोग में वृद्धि, नये दूरसंचार नेटवर्क जैसेकि 3जी तथा आने वाले 4जी के कार्यान्वयन और राज्य एवं केन्द्र सरकारों द्वारा विभिन्न लैपटॉप, टैबलेट मोबाइल वितरण योजनाओं आदि विभिन्न घटकों के कारण भारत में ई.एस.डी.एम.[1] उद्योग में उर्ध्ववर्ती उच्च वृद्धि होगी। भारत में इलेक्ट्रानिक्स बाजार की यह मॉग वर्ष 2020 तक 400 बिलियन अमेरिकन डालर तक पहुँच जाने की आशा है। वर्तमान विकास दर, जोकि 5 – 10 प्रतिशत के बीच है, के आधार पर भारतीय इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन वर्ष 2020 में 400 बिलियन अमेरिकन डालर के विरुद्ध 100 बिलियन अमेरिकन डालर की पूर्ति कर सकेगा तथा मॉग और पूर्ति का 300 बिलियन अमेरिकन डालर यह अन्तर आयात द्वारा पूरा किया जाना होगा और यह स्थिति ऐसी होगी जब कि इलेक्ट्रॉनिक्स आयात बिल तेल आयात बिल से अधिक हो जायेगा।

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति 2012 के माध्यम से, भारत सरकार द्वारा घरेलू और वैश्विक – दोनों प्रकार की मॉग को पूरा करने के लिए भारत को इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन तथा विनिर्माण (ESDM) के एक वैश्विक केन्द्रक के रूप में रूपान्तरित किये जाने की परिकल्पना की गई है।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका के योगदान और एक दीर्घ–कालीन परिप्रेक्ष्य में अनुकूल नीतिगत वातावरण तथा समेकित रणनीति द्वारा उत्तर प्रदेश को ई.एस.डी.एम. केन्द्रक के रूप में रूपान्तरित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है।

कार्यकुशल मानव संसाधन की मॉग जिसकी आवश्यकता इलेक्ट्रानिक क्षेत्र के लिए होगी, का लाभ राज्य अपने पक्ष में ले सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार के क्षेत्र में इन्जीनियरिंग स्नातकों की विशाल संख्या सहित, राज्य में लगभग 36 विश्वविद्यालय, 3104 महाविद्यालय, 1500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, 197 व्यवसायिक विद्यालयों तथा 320 इन्जीनियरिंग महाविद्यालय एवं आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, तथा बीएचयू जैसे असंख्य प्रमुख संस्थानों का गृह है। इस विशाल ज्ञान राशि के फलस्वरूप राज्य, आवश्यक विशिष्ट कौशल विकसित करके इस क्षेत्र में मानव संसाधन की मॉग–पूर्ति के अन्तर को दूर कर सकता है।

वर्तमान नीति–पहलकदमी (policy initiative) राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश को एक इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण केन्द्रक के रूप में स्थापित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित करती है।

[1] स्त्रोतः नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रानिक्स–2012, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति–2012

# अध्याय 2 : परिकल्पना, लक्ष्य, उद्देश्य

## 2.1 परिकल्पना (Vision)

प्रदेश और देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित एवं विकसित कर उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी, उद्योग मित्रवत् इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण गंतव्य के रूप में स्थापित करना।

## 2.2 लक्ष्य (Mission)

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश को भारत में, सर्वाधिक वरीयता वाले राज्य (preferred state) के रूप में स्थापित करना।
- राज्य में ESDM कंपनियों के अनुकूल, उद्योग मित्रवत, चिरस्थायी, एक अग्रसक्रिय समस्या–मुक्त वातावरण प्रदान किया जाना।
- राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स में अनुसंधान एवं विकास, इंजीनियरिंग और उत्पादन के एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
- राज्य में इलेक्ट्रानिक क्षेत्र के अनुरूप विशिष्ट प्रतिभाओं को विकसित करना जिससे व्यापक रोजगार अवसर उत्पन्न हों

## 2.3 उद्देश्य (Objective)

- राज्य में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMCs) की स्थापना
- प्रस्तावित फैब इकाई[2] की स्थापना का लाभ राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम निवेश को आकर्षित करने के लिए लिया जाना।
- राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और विकसित करना।
- प्रादेशिक सकल घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) में वृद्धि

# अध्याय 3 : नीति लक्ष्य एवँ कार्यान्वयन रणनीति

## 3.1 नीति लक्ष्य

वर्तमान इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण इकाइयों और आनुसंगिक व्यवसायिक सहयोगियों के लिए एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण का निर्माण करना है। इस नीति का लक्ष्य रु 1 – 250 करोड़ की श्रेणी वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME)[3] के लिए विशेष प्रतिबल (special thrust) भी प्रदान करना है। तथापि रु 200 250 करोड़ से अधिक के निवेश के मामलों में केस–टू–केस आधार पर विचार किया जायेगा और उन पर सशक्त समिति के माध्यम से निर्णय लिये जायेंगे। इस नीति का लक्ष्य इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMCs)[4] की स्थापना के साथ साथ इन इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग कम्पनियों की स्थापना किया जाना है। इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स द्वारा इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग की फैब इकाइयों को उच्चवर्ती (Upstream) तथा अधोवर्ती (Downstream) विस्तार के रूप में मूल्य–संवर्धन की पूरी श्रृंखला को सम्बल प्रदान किया जाना प्रत्याशित है।

## 3.2 आर्थिक परिवर्तन

आर्थिक परिवर्तन का केन्द्रबिन्दु एक सम्पूर्ण व्यवसायिक वातावरण का सृजन किया जाना है जो इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्र में व्यवसाय, कारोबार, निवेश और उद्यमिता को आकर्षित करने और उसके प्रोत्साहन में सहायक हो। इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उत्तोलक के सृजन हेतु इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में निवेश बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है जिससेकि राज्य की व्यापक अर्थव्यवस्था में अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों का भी रूपान्तरण होगा।

## 3.3 अवस्थापना विकास

राज्य में व्यवसायिक इकाइयों की स्थापना के लिए इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण संकुल (Electronics Manufacturing Clusters) की स्थापना पर बल दिया जायेगा। ये EMCs

- ज्ञान आधारित नव–प्रयोगों एवं प्रतिस्पर्द्धी व्यवसायिक क्षेत्रों के सृजन, व्यक्ति–कारित नव–प्रयोग तथा वैश्विक नेटवर्किंग
- पर्यावरण सम्बन्धी बिन्दुओं के अनुश्रवण व प्रबन्धन की उच्च क्षमता
- नगरीय परिवहन में सुधार तथा अधिक संरक्षित नगरीय स्थल
- भूमि, विद्युत (24X7 गुणवत्तायुक्त निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति), पानी, सड़क इत्यादि जैसी आधारभूत अवस्थापना सुविधायें प्रदान करने

में सहायक होंगे।

## 3.4 मानव पूँजी विकास

मानव पूँजी का विकास इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग की प्रगति के लिए वॉछित कौशल के विकास हेतु उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सामर्थ्य प्रदान किये जाने की नींव है। एक सामर्थ्यवान तकनीकीं जनशक्ति तथा एक ज्ञानवान समुदाय का एक वृहद स्त्रोत होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा प्रासंगिक प्रमाणीकरण के साथ साथ स्टार्ट–अप, उद्यमिता, शोध एवं विकास को प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक EMC में इन्क्यूबेटर केन्द्रों की स्थापना पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

राज्य सरकार नव–प्रयोगों, शोध एवं विकास, ज्ञान–अन्तरण, सामरिक–गठजोड़ एवॅ सहयोग के लिए इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा शीर्ष कारपोरेट के साथ वैश्विक साझेदारी के लिए भी उत्सुक है।

## 3.5 ई–अपशिष्ट प्रबन्धन (e-waste handling)

वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप हानिकारक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबन्ध सहित, e-waste handling (management and Handling) Rules 2011 का कियान्वयन सहज बनाने हेतु उद्योग के साथ मिलकर एक तंत्र का निर्माण। राज्य में उत्पन्न ई–अपशिष्ट के लिए ई–अपशिष्ट पुनर्चकण उद्योग (recycling industry) को प्रोत्साहन।

**एक हाथ – एक ई.एम.सी.**

## 3.6 इलेक्ट्रानिक मिशन दल

राज्य में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स तथा इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग की सफल स्थापना के लिए, स्थायी मिशन निदेशक के नेतृत्व में एक समर्पित मिशन निदेशालय की स्थापना।

परियोजना का कार्य उसके पूर्ण कार्यान्वयन तक निदेशालय द्वारा सम्पादित कराया जायेगा और उसकी प्रगति समय समय पर अनुश्रवण समिति को अवगत करायी जायेगी।

सम्बन्धित प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सम्बन्धित जिलाधिकारी निवेशक को बिजली, पानी और भूमि इत्यादि सहित पूर्ण समेकित पैकेज उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय को निकट सहयोग प्रदान करेंगे।

## 3.7 एकल खिड़की निस्तारण

नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु निवेशक के दावों पर सुगम एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स,

उत्तर प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में एकल खिड़की निस्तारण इकाई के रूप में निवेशकों के साथ घनिष्ठता से कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त पी.आई.यू. प्रदूषण नियंत्रण, दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, विद्युत आबंटन जैसी सांविधिक स्वीकृतियों की प्राप्ति में भी निवेशक को सहायता प्रदान करेगी।

नीति कार्यान्वयन इकाई अवरोधों के समयबद्ध रूप से निवारण (clearing roadblock) में भी उत्तरदायी होगा। यदि समय–सीमा के भीतर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो मामला सशक्त समिति के समक्ष आ जायेगा।

## 3.8 अनुश्रवण तथा निर्णयों हेतु समितियाँ

### 3.8.1 एपेक्स समिति

राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के विकास पर नजर रखने के लिए मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा वित्त, ऊर्जा, सिंचाई, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभागों के प्रमुख सचिवों, नॉयडा, ग्रेटर नॉयडा, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अध्यक्षों, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा मिशन निदेशक, इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग मिशन की एक अपेक्स समिति का गठन किया जायेगा।

### 3.8.2 सशक्त समिति

राज्य में नीति के कार्यान्वयन एवं उसके सफल निष्पादन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति (Empowered Committee) द्वारा किया जायेगा। अन्य सहित, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, नियोजन, लघु उद्योग, वाणिज्य कर, ऊर्जा, सिंचाई, तथा आवास विभाग के प्रमुख सचिव इस समिति में सदस्य के रूप में होंगे।

सशक्त समिति का अधिकार–पत्र (Charter) होगा :–

- अनुश्रवण एवं सुनिश्चित करना कि सम्बन्धित आदेशों/अधिसूचनाओं तथा संशोधनों को स–समय जारी कर दिया जाये।
- नीति के अन्तर्गत ईएमसी की स्थापना की स्वीकृति
- रू ~~250~~ 200 करोड से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं पर स्वीकृति हेतु केस–टू–केस आधार पर विचार
- इस नीति से सम्बन्धित मामलों में अन्तर्विभागीय सामन्जस्य (Inter Departmental coordination) स्थापित करना
- समस्त स्तरों पर कार्यान्वयन से सम्बन्धित बिन्दुओं पर हल निकालना

# अध्याय 4 : प्रोत्साहन

राज्य में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स तथा इन ईएमसी में एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना को परिलक्षित करते हुए 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं। अधोलिखित प्रोत्साहन प्रथम 3 इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स को अनुमन्य होंगे, जिसे पुनः इस नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति के निर्णयानुसार स्थापित होने वाले अन्य इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

## ई.एस.डी.एम. इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन

### 4.1 पूँजी उपादान

- भूमि के अतिरिक्त स्थिर पूँजी पर, रू 5 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, 15 प्रतिशत पूँजी उपादान, अनुमन्य होगा।
- यह उपादान इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर की इकाइयों को तथा वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा मूल्यॉकित पूँजी[5] पर ही अनुमन्य होगा।
- यह उपादान प्रथम 10 इकाइयों को ही, उनके व्यवसायिक कार्यचालन अर्थात् प्रथम वाणिज्यिक लेन–देन की तिथि से अनुमन्य होगा।

### 4.2 ब्याज उपादान

बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष हेतु की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू 1.00 करोड़ होगी।

### 4.3 स्टाम्प ड्यूटी

इलेक्ट्रानिक्स उपयोग हेतु भूमि के कय करने /पट्टे पर लेने पर, स्टैम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्राप्त होगी।

### 4.4 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन

MSME इकाईयों में ही शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 1,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 5,00,000 की सीमा सहित, वास्तविक फाइलिंग लागत के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

### 4.5 वैट/केन्द्रीय बिक्रीकर की प्रतिपूर्ति

भूमि को छोड़कर, अन्य स्थिर पूँजी निवेश (यथा भवन, प्लान्ट और मशीनरी, परीक्षण उपकरण इत्यादि) के अधिकतम 100 प्रतिशत की सीमा सहित, 10 वर्षों की अवधि तक VAT/CST की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति। यह उपादान वाउचर योजना पर आधारित होगी। ये वाउचर हितार्थी को जारी किये जायेंगे जो इन वाउचर की प्रस्तुति के माध्यम से उनके VAT/CST का प्रतिदान प्राप्त कर सकेंगे।

## ई.एम.सी. हेतु अनुमन्य अन्य प्रोत्साहन

### 4.6 भूमि हेतु प्राविधान

इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, एस.पी.वी.[6] अथवा EMC के अन्दर स्थित कम्पनियों को सरकारी अभिकरणों (State agencies)[7] से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

### 4.7 ई.एम.सी. अवस्थापना सुविधायें

ई.एम.सी. की स्थापना हेतु सामान्य सुविधाओं (सड़क, बिजली, जल, ई.टी.पी., परीक्षण सुविधाओं, सामाजिक अवस्थापना इत्यादि) के विकास पर हुए व्यय के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति 2012 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त उपादान का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। यह उपादान राज्य में प्रथम तीन इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हेतु प्रदान किया जायेगा।

टिप्पणी : उपरोक्त वर्णित प्रोत्साहन ई.एम.सी. में स्थापित होने वाली ई–अपशिष्ट पुनर्चक्रण कम्पनियों (recycling units) को भी अनुमन्य होंगे।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में परिचालनरत इकाइयों, जो ई.एम.सी. से बाहर अपना कार्यक्षेत्र विस्तारित करने की इच्छुक हैं, को निम्न प्रोत्साहन अनुमन्य हैं:–

### 4.8 औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान

- वर्तमान ईएसडीएम इकाइयों द्वारा तीन वर्ष की अवधि में विद्यमान क्षमता के 25 प्रतिशत या अधिक क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त पूँजी निवेश पर, नई इकाइयों (ई.एम.सी. में) के लिए अनुमन्य प्रोत्साहनों के 50 प्रतिशत के समतुल्य औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान।
- यह उपादान प्रथम 10 इकाइयों को ही, उनके व्यवसायिक कार्यचालन की तिथि के आधार पर विचार के आधार पर, अनुमन्य होगा।

## 4.9 प्रकरण (केस–टू–केस) आधारित प्रोत्साहन

- रू ~~250~~ 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली ESDM इकाइयों को उपरोक्त उल्लिखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन दिये जाने पर विचार किया जायेगा। यह विशेष प्रोत्साहन भूमि तथा ऊर्जा में छूट के रूप में होगा, जिसका निर्धारण सशक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

- फैब इकाइयों द्वारा उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयों की स्थापना भी इस प्रकरण आधारित (केस–टू–केस) प्रोत्साहन के अन्तर्गत सम्मिलित है।

## 4.10 अन्य हितलाभ

- इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु वॉछनीय कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के साथ जोड़ा जाना जिससे कि योजना के लाभ सुपात्रों को प्राप्त हों

- इस योजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आबंटित निधियों से ई.एस.डी.एम. क्षेत्र के अनुरूप कौशल विकास

- सप्ताह के सातों दिन 24 घण्टे परिचालन तथा सभी तीन पालियों में महिलाओं को कार्य की अनुमति

- स्टार्ट–अप/उद्यमियों/अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन हेतु पी.पी.पी. आधार पर प्रत्येक ई.एम.सी. में 2 एकड़ क्षेत्र का इन्क्यूबेटर सेन्टर (वार्म शेल) के रूप में विकास

- पी.पी.पी. आधार पर प्रत्येक ई.एम.सी. में 2–3 एकड़ क्षेत्र मिनी टूलरूम (MTR) की स्थापना, जिसे सम्बन्धित उत्पादों के लिए भी विस्तृत किया जायेगा।

नोट– किसी भी इकाई को सभी श्रोतों से मिलने वाली वित्तीय रियायतें कम्पनी द्वारा किये गये स्थिर निवेश (fixed capital investment) के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

## 4.11 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2014 की यू.एस.पी.
### UP - *Uninterrupted Power*

विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति हेतु 'संरक्षित–भार' – निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा ई.एम.सी. एस.पी.वी. के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिससे विश्वसनीय एवं गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी। इसके कियान्वयन हेतु, संरक्षित भार का दर्जा दिये जाने के लिए, 'अतिरिक्त फिक्स्ड चार्जेस' को वहन करने का दायित्व सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग का होगा। प्रबन्ध निदेशक (डीवीवीएनएल/ एमवीवीएनएल/ पीवीवीएनएल/ पीयूवीवीएनएल)[8] ई.एम.सी. के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

# अध्याय 5 : विपणन एवं ब्रॉडिंग रणनीति

नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) इस नीति के विपणन एवं ब्रॉडिंग रणनीति के निर्धारण हेतु उत्तरदायी होगी। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे:–

- राज्य के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा उसकी नीतियों एवं विभिन्न प्रोत्साहनों की एक ब्रॉण्ड छवि का सृजन
- नीति के प्रमुख बिन्दुओं को रेखांकित करने के लिए CII, ELCINA, MAIT, ICA इत्यादि के सहयोग से सम्मेलन, सभायें, रोड शो तथा इवेन्ट्स आयोजित करना
- जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया का उपयोग करना तथा उत्तर प्रदेश की ब्रॉण्डिंग और अन्य राज्यों के मुकाबिले उसे स्थापित करना
- विभाग द्वारा विकासात्मक कार्यकलापों के लिए पर्यटन विभाग के साथ गठजोड़ तथा विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना
- निवेश आकृष्ट करने तथा प्रस्तावित फैब इकाइयों को सम्बल देने के लिए विभिन्न सभाओं/सम्मलेनों में ई.एम.सी. को प्रचारित करना।
- अखिल विश्व स्तर पर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमीकण्डक्टर तथा इलेक्ट्रांनिक्स आयोजना में प्रतिभाग करना

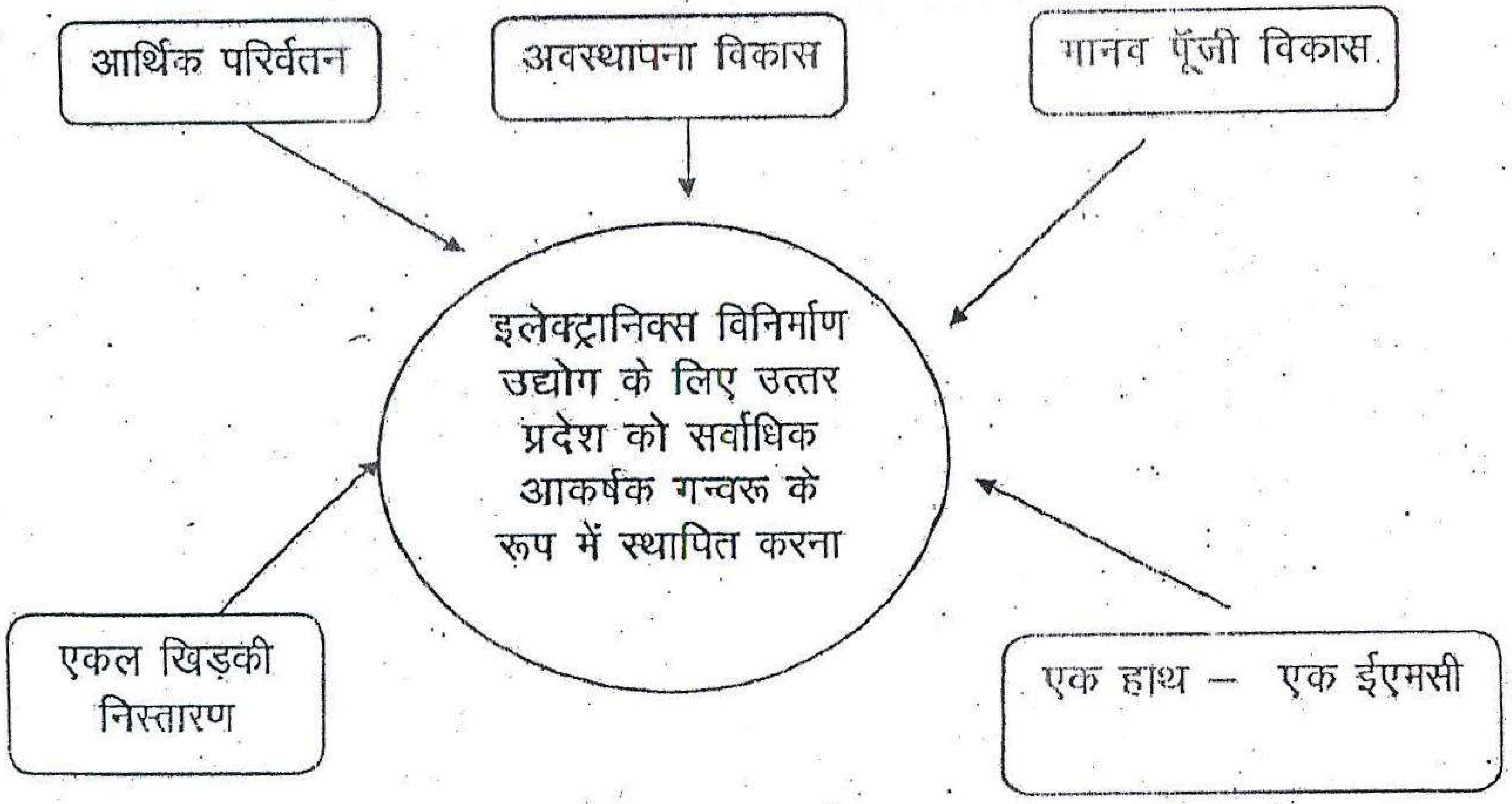


विपणन एवं ब्रॉण्डिंग रणनीति

# शब्दावली

1 ई.एस.डी.एम. उद्योग

ई.एस.डी.एम. – इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है जिसके अन्तर्गत निम्नवत् मुख्य घटक सम्मिलित, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं:–

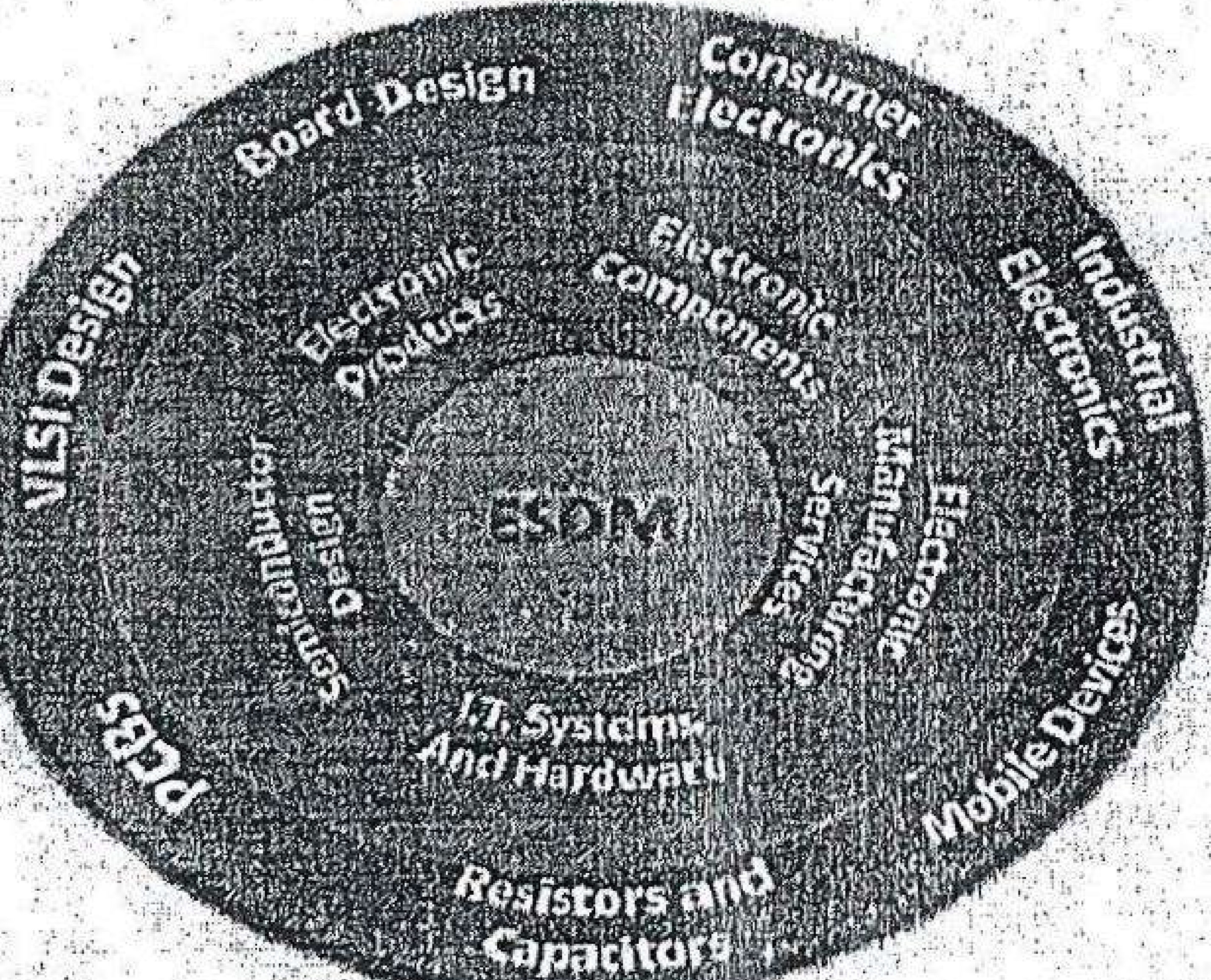


इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद

- क मोबाइल उपकरण : मोबाइल हैण्डसेट
- ख दूरसंचार उपकरण : मॉडेम, राइटर्स, स्विचेज इत्यादि
- ग उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स : टीवी, डीवीडी प्लेयर्स, डिजिटल कैमरे, सेट टॉप बॉक्सेज इत्यादि
- घ आटोमोबाइल इलेक्ट्रानिक्स : विद्युत वाहन, पावर विन्डो इत्यादि
- च औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स : पावर इलेक्ट्रानिक्स, एल.ई.डी. लाईटिंग, सीएफएल, एनर्जी मीटर इत्यादि
- छ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली एवं हार्डवेयर : डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, मॉनीटर्स, मेमोरी कार्ड इत्यादि
- ज अन्य इलेक्ट्रानिक्स : एयरोस्पेस, रक्षा उपकरण सहित सामरिक उपकरण

इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स

- अ एक्टिव कम्पोनेन्ट्स : ट्रॉजिस्टर्स, डॉयोड्स तथा सी.आर.टी
- ब पैसिव कम्पोनेन्ट्स : रेजिस्टर्स तथा कैपेसिटर्स
- स इलेक्ट्रोमेकेनिकल कम्पोनेन्ट्स : पीसीबी, पावर डिवाइसेज, रिले इत्यादि

सेमीकन्डक्टर डिजाइन

- अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेण्ट
- ब वीएलएसआई डिजाइन
- स हार्डवेयर/बोर्ड डिजाइन

इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (ई.एम.एस.)

मूल उपकरण निर्माताओं (ओ.ई.एम.) के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स तथा असेम्बलीज की डिजाइनिंग, टेस्टिंग, निर्माण, वितरण एवं अनुरक्षण।

2 फैब इकाई

फैब इकाई वह सेमीकण्डक्टर संरचना सॅयंत्र है, जहाँ इण्टीग्रेटेड सार्किट्स (ICs) चिप जैसी सामग्री निर्मित होती है।

3 **एम.एस.एम.ई. – सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (Micro, Small and Medium Enterpries)**

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मॅत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार

- सूक्ष्म उद्योग – वह उद्योग जिसमें मशीनों एवं उपकरणों पर पूँजी निवेश 25 लाख रूपये से अधिक न हो।
- लघु उद्योग – वह उद्योग जिसमें मशीनों एवं उपकरणों पर पूँजी निवेश 25 लाख रूपये से अधिक किन्तु रू 5 करोड़ से अधिक न हो।
- मध्यम उद्योग – वह उद्योग जिसमें मशीनों एवं उपकरणों पर पूँजी निवेश 5 करोड़ रूपये से अधिक किन्तु रू 10 करोड़ से अधिक न हो।
- वृहद उद्योग – वह उद्योग जिसमें मशीनों एवं उपकरणों पर पूँजी निवेश 10 करोड़ रूपये से अधिक किन्तु रू 50 करोड़ से अधिक न हो।

4 इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स (ई.एम.सी)

ई.एम.सी. विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Zone) के सदृश ही होंगे जो इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स डिजाइन तथा विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र के संवर्धन को बढ़ावा देंगे।

ये क्लसटर्स उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, विद्युतीकरण, पावर इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवं इसी प्रकार के अन्य विभिन्न उपकरणों उनकी पूरी श्रॅखला के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स, पार्ट्स, सब–असेम्बलीज, सामग्री के विनिर्माण हेतु लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्यमों की स्थापना की सुगमता हेतु हैं।

5 बैंक/ वित्तीय संस्थान

समस्त अधिसूचित बैंक इसके अन्तर्गत आयेंगे। सभी वित्तीय संस्थान जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है, इसके अन्तर्गत आयेंगे।

6 ई.एम.सी. स्पेशल परपज वेहिकल (ई.एम.सी.एस.पी.वी.)

ई.एम.सी. स्पेशल परपज वेहिकल का गठन यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड/ सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम तथा उद्योग संघों एवँ इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स की स्थापना हेतु संघ–सदस्यों के मध्य किया जायेगा।

7 राज्य अधिकरण

- विकास प्राधिकरण
- आवास परिषद
- उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम
- सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य की अन्य संस्था

डीवीवीएनएल/ एमवीवीएनएल/ पीवीवीएनएल/ पीयूवीवीएनएल

ये उत्तर प्रदेश स्थित विभिन्न विद्युत वितरण इकाइयॉ हैं जो राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं:–

डीवीवीएनएल – दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0
एमवीवीएनएल – मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0
पीवीवीएनएल – पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0
पीयूवीवीएनएल – पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड
– नीति कार्यान्वयन इकाई के रूप में
पताः 10, अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001
दूरभाषः 0522–4130303, 2286808, 2286809
ई–मेल : uplclko@gmail.com / md@uplc.in /
वेबसाइटः www.itpolicy.gov.in /www.uplc.in
/ eUttarPradesh2013